न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 13/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/14)

गोपीराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री सुन्दरलाल बैनीवाल – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 18.05.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार छानीबड़ी तहसील भादरा के आदेश दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अति. जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.07.2021 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अति. जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2021 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कहा कि पटवारी हल्का सांगड़ा ने एक रिपोर्ट रोही मौजा 10 जे.एस.एन. के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गैर मुमकिन रास्ता भूमि. खं. नं. 197 तादादी .065 हैक्टर भूमि पर फसल खरीफ सम्वत 2077 में गोपीराम पुत्र नानूराम ने नाजायज

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

काश्त कर रखी है। जिस पर अपीलान्ट गोपीराम को नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थी द्वारा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश पेश नही किया। उक्त भूमि पर फसल नरमा काश्त की जानी पाई गई, इस पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया तथा माल गुजारी के 50 गुणा की कुल राशि 7.5 रूपये तवान कायम किया गया तथा फसल नष्ट कर रास्ता खुलवाने व तवान राशि वसुली करने का आदेश दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व रंजिश वंश गलत तथ्यो के आधार पर झूठी रिपोर्ट पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपनी पुस्तैनी पुरानी भूमि से काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट ने कभी रास्ते की भूमि पर काश्त नही की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का आदेश दिनांक 20.07.2021 को अपास्त किया जावें।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट करता हो। बल्कि अपीलान्ट ने अपील मीमो मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट का गलत एव नायब तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिये जाने का कथन किया है जबकि अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलान्ट ने ये तथ्य उठाये जिनको अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कानूनी आवश्यकता नही समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर